

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं.- **TKSB-24**, प्रस्तावित क्षेत्र- **4.80** हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- **256205.1** टीपीए, निकट गांव- हरिपुरा, तहसील- खींवसर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर श्री सुनिल पंवार की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढाणी, हरिपुरा, तहसील-खींवसर, जिला नागौर में दिनांक **28/10/2025** को दोपहर **01:00** बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" एवं "दैनिक भास्कर" में दिनांक **25/09/2025** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर नागौर की तरफ से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।

जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स एजिस एन्वायरॉमेंट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स एजिस एन्वायरॉमेंट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव— हरिपुरा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में खनिज— लाइमस्टोन खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक नं.— **TKSB-24**, प्रस्तावित क्षेत्र— **4.80** हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— **256205.1** टीपीए, निकट गांव— हरिपुरा, तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी. एस.आर.) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री नरेश नायक निवासी हरिपुरा ने कहा कि एसडीएम महोदय ने अभी हमें बताया कि यहां आने पर सर्वप्रथम इन्होंने स्कूल का सर्वे किया तथा इन्हें यहां पढ़ाई तथा अन्य व्यवस्था को लेकर अच्छा महसूस हुआ। यहां जो पोस्टर लगा है— “पर्यावरण हेतु लोक सुनवाई”। सभी बुजूर्गों तथा ग्रामवासियों को बताता हूँ कि यह पहला शब्द पर्यावरण, जिसका अर्थ होता है— आस-पास के पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, नदी-नाला आदि को पर्यावरण तथा प्रकृति कहा जाता है। अब जो यह

कम्पनियां तथा फैक्ट्रियां हैं, यह हमें हॉस्पिटल, पानी, सड़क आदि के फायदें तो इतने बताते हैं, जैसे हम सभी लखपति तथा करोड़पति बन जायेंगे। लेकिन वर्तमान में यह सभी चीजें होने चाहिए तथा सरकार का भी उद्देश्य भी यही होता है कि आम आदमी को रोटी, कपड़ा तथा मकान सरकार देगी। परन्तु आज भी हम सभी अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां जो भी फैक्ट्री अथवा लाईमस्टोन की खान आती है, वह तो बहुत फायदें बतायेंगे कि आपके बच्चें हमारी फैक्ट्रियों में टिफिन लेकर जायेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चें इन फैक्ट्रियों में टिफिन लेकर नहीं जाये, अपितु इन फैक्ट्रियों के मालिक बने। इन फैक्ट्रियों के वायु प्रदूषण हमारी जितनी भी जमीन, पेड़-पौधे, आने वाली पीढ़ी, बुजुर्ग सबके लिए नुकसानदायी होगा। इससे वायु प्रदूषण के साथ जल प्रदूषण भी होगा, केमिकल फैक्ट्रियों का तमाम कूड़ा-कचरा, जमीन में तो दफनाते नहीं हैं, बरसात में पानी के साथ नाड़ी, तालाब में जमा हो जायेगा तथा उस पानी को पीने के लिए तो हम ही काम लेंगे तो हम सभी का शरीर स्वस्थ होने के बजाय रोगी ही होगा। दूसरी बात यह हमें पेड़ लगाने का बोलते हैं, परन्तु पौधें को बढ़ने के लिए भी तो स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे तो अंग्रेजी बबूल बहुत है, इनकी जहां छाव चली जाये वहां फसल तक नहीं होती, इनसे फायदा कुछ नहीं होता है। 15 दिनों में प्रतिदिन 10 घण्टा तक मशीन लगा कर सरपंच साहब ने यहां की झाड़ियों को हटवाया, जिससे आज हमारे घर-घर, ढाणी-ढाणी दिखाई दे रहे हैं, वरना हालात खराब थे। इसलिए यह पौधें लगा भी दें परन्तु फैक्ट्री से आने वाली दूषित हवा से यह पौधें खराब ही होंगे, पौषित नहीं होंगे। हरिपुरा की 99 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति है, हम वास्तव में भील अनुसूचित जनजाति से हैं, हमारे पूर्वजों ने जल, जमीन तथा जंगल के लिए ही संघर्ष किया है, यह हम सभी की जमीन है, हमारी माँ है। अपने बुजुर्ग ने जमीन की रक्षा के लिए सिर कटवाये हैं। लेकिन अपनी ऐसी नौबत, परिस्थिति है कि हम सभी बीपीएल कार्ड के लिए भी तरस रहे हैं, अपने बीपीएल कार्ड नहीं बना, अपने को राशन नहीं मिलता, अपने जॉब कार्ड नहीं बन रहा है, यह स्थिति अपनी पैदा हो चुकी है। हरिपुरा की 99 प्रतिशत आबादी जो अनुसूचित है, वह केवल खेती पर ही निर्भर तथा हमारे पास खेती भी केवल 4-5 बीघा ही है, वो भी बुजुर्गों के नाम है। आज यहां सभी कास्तकार लोगों के यहां एक चौथाई से मजदूरी करते हैं, जमींदारों के 100, 200 तथा 500 बीघा भी जमीनें हैं, अगर उनके फसल खराब हो जाती है तो वह कागज पास करवा कर सरकार से लाखों के क्लेम लेते हैं, लेकिन इन मजदूरों को कोई एक चौथाई का हिस्सा नहीं देता। जबकि वास्तविकता में मेहनत अपन लोग करते

है, सर्दी, गर्मी, धूप, दिन-रात, जीव-जन्तु आदि में मेहनत करते हैं, परन्तु फसल खराब होने पर जमींदार को तो उसकी पूरी जमीन का मुआवजा मिलता है, लेकिन एक चौथाई मजदूरों को नहीं देता। एसडीएम महोदय इसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन है कि कास्तकार को भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए। वास्तव में हम लोग इन चीजों के हकदार हैं, वह चीजे आज अपने को मिल नहीं रही हैं। कम्पनी के मार्फत अपने को बहुत फायदा बता जरूर रहे हैं, सड़के बन जायेगी, परन्तु यहां लोग रो रहे हैं, बार-बार कागज जमा करवा दिये, यहां रास्ता कटाण नहीं हो रहा है, कम्पनियां सड़कें कैसे बना देगी। हॉस्पिटल की सुविधा का बताते हैं, स्कूलों में सुविधा का बताते हैं, जबकि यह सभी कार्य तो सरकार है, जब सरकार ही हमें यह सब नहीं दे रही है तो यह प्राइवेट कम्पनियां हमें क्या दे देगी। यह आज हमें लोभ-लालच में ले लेगी, परन्तु इन कम्पनियों की हवा से अपनी आने वाली पीढ़ी भी कुपौषित पैदा होगी। आप सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है, अगर आपको हकीकत में लगता है कि यहां कम्पनी आने से हमें फायदा मिलता है तो हमें सोच समझ कर गाँव की मीटिंग लेकर निर्णय लेंगे। जमीन अपनी माँ होती है, उसें हम बेच नहीं सकते, परन्तु फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें अपना कुछ फायदा है तो जो उचित दर हो, जैसे सरपंच साहब ने 25 लाख रुपये बीघा बताया है, ताकि हम आगे भी कहीं रोजगार खोल सके, कहीं ओर जमीन ले सके। सोच समझ कर आने वाली पीढ़ी, युवा साथी के रोजगार के बारे में सोच कर, कम्पनी में अपनी हिस्सेदारी कैसे हो, इस कम्पनी में अपने गाड़ी कैसे चले, वह सभी सोच कर अपने को यह कार्य करना है। जबकि स्पष्ट रूप से गाँव की तरफ से मना ही है, पूर्णरूप से आपत्ति है। जमीन बहुत कम है, इस जमीन पर भैंस-बकरी चराना ही बेहतर है। हम कोई बड़े जमींदार नहीं हैं, ना ही कहीं बड़ी हिस्सेदारी है। फैक्ट्रीयों से हमें 1 प्रतिशत भी फायदा नहीं होगा, फैक्ट्री के आस-पास कहीं फसल नहीं होगी। अपन देख रहे हैं, जोजरी नदी के लिए महीने-दो महीने से आंदोलन चल रहा है, यहां पास ही सरासनी में अंबुजा सीमेंट कम्पनी किसानों पर ही लाठी चलवा रही है, लाखों किसान धरना देकर बैठे हैं, तो कम्पनी से कहीं पर भी फायदा नहीं मिला है। हम आप सभी गाँववालों के साथ हैं। काफी गाँववालों के यह भ्रम है कि वहां जाना नहीं वरना सरपंच जमीन बेच देगा, जबकि सरपंच साहब यहां मौजूद बैठ तथा इन्होंने कहा है कि "जैसे यह उपस्थिति पंजिका है, हरिपुरा में आज मीटिंग ली गई, इतने लोग उपस्थित थे, अगर आप गाँव वालें सहमत हो तो आपकी यहां हाजरी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपका आगे एक कदम नहीं रखूंगा।" तो किसी के दिमाग में यह भ्रम हो तो वह

निकाल दो। जो आप लोग कहेंगे, जो अपने गांव के फायदों की बात होगी, वही हम लोग करेंगे।

श्री मूलाराम सरपंच बैरावास ने एसडीएम महोदय को संबोधित करते हुए कहा कि आपने वास्तविक कहानी सुन ली है तथा गांव के चहरें भी आप देख रहे हैं, जबकि आपको तो ऐसा लगना चाहिए कि आप गांव में आये तो सभी गांववालों दूर से अपना मान-सम्मान करें। परन्तु गांववालों के उदास चहरें देखकर ही लगता है कि यह नहीं चाहते कि यहां पर कोई फैक्ट्री लगे, कम्पनी आये। गांववालों ने मुझे 5 साल के लिए सरपंच बनाया है तो मैंने गांव के लिए फायदा ही किया है, आगे भी फायदा करूंगा तथा मैं नहीं चाहता कि गांव का कोई नुकसान हो। आपसे भी निवेदन रहेगा कि आपको जो लिखित में दिया है उसे आगे पहुंचाये क्योंकि हम इसके खिलाफ है।

एसडीएम महोदय ने कहा कि आपने जो आपत्ति पत्र दिया है, उसे नोट कर लिया गया है, इसमें पर्यावरण के संदर्भ में सभी तथ्यों की जांच की जायेगी तथा मैं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आया हूं तो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भी इसके संबंध में प्रेषित करूंगा।

श्री मूलाराम सरपंच बैरावास ने कहा कि पर्यावरणीय परियोजना सलाहकार द्वारा अभी स्कूल आदि के बारे में बताया गया कि वह इतनी दूरी पर है, परन्तु आप यहां सर्वे करके देखे, कहां स्कूल, ढाणी, आबादी, खेत आदि का पहले आप सर्वे करें, उसके आप एनओसी देने के बारे में सोचें। सर्वप्रथम यहीं चाहते हैं कि किसानों को फायदा हो। यहां किसान सभी कास्तकार हैं, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। इस स्कूल को भी अगर 5 साल पहले देखते तो स्कूल के गेट से प्रवेश करने का मन नहीं करता, मैंने इनके लिए फायदा किया है, मैं नहीं चाहता कि इन्हें कोई नुकसान पहुंचें।

एसडीएम महोदय ने कहा कि इनके जो भी बिन्दु हैं जैसे स्थानीय रोजगार के संदर्भ में, सर्वे के संदर्भ में, उचित मुआवजों के संदर्भ में जो भी बिन्दु ग्रामवासियों ने कहे हैं उन सभी बिन्दुओं को कलमबद्ध करेंगे तथा आपकी बिन्दुओं पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने

पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


श्री राजकुमार शर्मा
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान न्यायिक नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर


श्री सुनिल पंवार,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
खीवसर
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
खीवसर / नागौर

उपरिस्थिति पंजिका

लाइमस्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं.:— TKSB-24,
प्रस्तावित क्षेत्र— 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ— 256205.1 टीपीए, निकट गांव— हरिपुरा,
तहसील— खींवसर, जिला— नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढाणी, हरिपुरा, तहसील-खीवसर, जिला नागौर

दिनांक: 28.10.2025,

समय: दोपहर 01:00 बजे

[illegible]





पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई



हरिपुरा लाइमस्टोन माईनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट निकट ग्राम हरिपुरा, तहसील खीवसर,
जिला नागौर (राजस्थान) में परियोजना प्रस्तावक **मैसर्स सनसिटी कोमिकल एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.** द्वारा
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

परियोजना प्रस्तावक

क्र.सं.	परियोजना प्रस्तावक का नाम	ब्लॉक	उत्पन्न रकम का क्षेत्रफल (हेक्टर)	उत्पन्न रकम (कोटि)	परिवेक्षण समिति (कोटि)	प्रस्तावित उत्पादन टन प्रति
1.	मैसर्स सनसिटी कोमिकल एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.	TK5B-24	4.80	12, 13, 14, 15, 40, 6	5.35	256205.10

स्थान : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायको की डाणी हरिपुरा
दिनांक 28/10/2025
समय : दोपहर 1.00 बजे से
अध्यक्षता: उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खीवसर

आयोजक:
श्रीमती अर्पिता राजवतार राय भुवनेश्वर निवासी मण्डल,
नागौर









